



प्रेषक,

प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा)  
उत्तर प्रदेश शासन  
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी  
समस्त परियोजना जनपद।

पत्रांक: रा0प0नि0/क0गॉ0बा0वि0/4037/2008-09

दिनांक: 18 नवम्बर, 2008

विषय:- कस्तूरबा गॉंधी बालिका विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी के चयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

- |  |
|--|
| 1-अर्द्ध0शा0प0 रा0प0नि0/1915/2004-05<br>दिनांक 22-12-2005              |
| 2- अर्द्ध0शा0प0-रा0प0नि0/444/2004-05<br>दिनांक 18-05-2006              |
| अर्द्ध0शा0प0-रा0प0नि0/क0गॉ0बा0वि0/863/200<br>7-08 दिनांक 31-05-2007    |
| 4-अर्द्ध0शा0प0 रा0प0नि0/क0गॉ0बा0वि0/<br>1471/2007-08 दिनांक 04-07-2007 |

कस्तूरबा गॉंधी बालिका विद्यालयों के निर्माण हेतु राज्य परियोजना कार्यालय के पार्श्वकित पत्रों द्वारा निर्माण एजेन्सी के चयन के संबंध में यह निर्देश दिये गये थे कि राज्य परियोजना कार्यालय से अनुमोदित मानचित्रों व एजेन्सियों का पैनेल अनुमोदित किया जा चुका है। एजेन्सियों का चिंवरण निम्नवत है :-

- 1- उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
- 2- कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम
- 3- लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

यह भी निर्देश दिये गये कि जनपद स्तरीय समिति द्वारा उपर्युक्त संस्थाओं में एक का चयन किया जाये। निर्माण कार्य हेतु जनपद पर उपलब्ध अन्य शासकीय निर्माण संस्थाओं का चयन भी जनपद स्तरीय समिति से किया जा सकता है। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक अ0रा0प0नि0/क0गॉ0बा0वि0/3755/2008-09 दिनांक 5-11-2008 जो संबंधित प्राचार्य, डायट को सम्बोधित है एवं जिसकी प्रति अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित की गई है, के द्वारा कस्तूरबा गॉंधी बालिका विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु संशोधित डिजाइन एवं आगणन प्रेषित किया गया है। यह भी

स्पष्ट किया गया है कि भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी का चयन पारदर्शकित पत्रों में उल्लिखित पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर जनपद में स्वीकृत प्रत्येक कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी का चयन 30 नवम्बर, 2008 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लें और यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 31 मार्च, 2009 तक कस्तूरबा गौधी बालिका विद्यालयों के भवन का निर्माण कार्य गुणवत्तायुक्त ढंग से सम्पन्न हो जाये। कृपया निर्माण कार्य प्रारम्भ कराकर उसकी सूचना तत्काल राज्य परिशोजना कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(वी० एन० गर्ग)

प्रमुख सचिव (बैसिक शिक्षा)

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ।